समाचार

सड़कों पर रेत, कोल डस्ट, मिट्टी आदि गिराने पर होगी वैधानिक कार्यवाही

(शहर की सड़कों पर होता है धूल, मिट्टी का जमाव, पर्यावरण पर पड़ता है प्रतिकूल प्रभाव, आमजन को होती है अनावश्यक परेशानी)

कोरबा 01 अप्रैल 2019 –परिवहन के दौरान शहर की सड़कों पर रेत, कोल डस्ट एवं मिट्टी आदि गिराने, बिखेरने पर संबंधित परिवहनकर्ता के विरूद्ध जुर्माना एवं वैधानिक कार्यवाही की जाएगी, इन परिवहनकर्ताओं से कहा गया है कि वे रेत, कोयला, मिट्टी आदि का परिवहन सुरक्षित रूप से करें तथा जुर्माना व अन्य वैधानिक कार्यवाही से होने वाली असुविधा से बचे। आयुक्त श्री एस.के. दुबे ने निगम के राजस्व अधिकारियों को आदेशित करते हुए कहा है कि वे इस पर कड़ी नजर रखें तथा निर्देशों का उल्लघन पाए जाने पर नियमानुसार जुर्माना व अन्य आवश्यक वैधानिक कार्यवाही सुनिश्चित करें।

यहां उल्लेखनीय है कि शहर की सड़कों पर प्रतिदिन काफी मात्रा में रेत, कोयला, मिट्टी आदि का परिवहन विभिन्न वाहनों के माध्यम से किया जाता है, प्रायः देखने में आता है कि इन सामग्रियों के परिवहन के दौरान निर्धारित सुरक्षा मानकों व आवश्यक व्यवस्थाओं को सुनिश्चित किए बिना ही इनका परिवहन किया जाता है, परिणाम स्वरूप परिवहन के दौरान वाहनों से रेत, कोल डस्ट एवं मिट्टी आदि सड़कों पर गिरती है, इससे एक ओर जहां शहर की सड़कों पर रेत, धूल आदि का जमाव होता है एवं पर्यावरण व साफ–सफाई व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, वहीं दूसरी ओर इन वाहनों के पीछे चलने वाले आमनागरिकों को भी बेहद असुविधा का सामना करना पड़ता है। निगम में स्वच्छ भारत मिशन के नोडल अधिकारी डॉ.संजय तिवारी ने बताया कि परिवहन के दौरान सड़कों पर रेत, कोल डस्ट व मिट्टी आदि को गिराकर सड़कों को गंदा करने एवं सड़कों पर धूल फैलाने वाले ऐसे परिवहनकर्ताओं पर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के दिशा निर्देशों के अनुरूप जुर्माना एवं अन्य वैधानिक कार्यवाही निगम द्वारा की जाएगी। कोयला खदानों से कोल परिवहन करने वाले वाहन चालकों एवं वाहन मालिकों के साथ–साथ एस.ई.सी.एल. प्रबंधन को विशेष रूप से हिदायत दी गई है कि वे कोयले का परिवहन ढक कर किया जाना सुनिश्चित करें।

निर्माण के दौरान करें ग्रीन नेट का उपयोग– डॉ.संजय तिवारी ने बताया कि आयुक्त श्री एस.के. दुबे के निर्देशानुसार नगर पालिक निगम कोरबा क्षेत्र के निर्माणकर्ताओं से कहा गया है कि वे घरों, भवनों आदि के निर्माण के दौरान ग्रीन नेट अनिवार्य रूप से लगाएं ताकि कार्य के दौरान धूल, मिट्टी व अन्य अपशिष्ट उडकर हवा में न मिले। निर्माण कार्यो में प्रयुक्त निर्माण सामग्री गिट्टी, रेत, ईंट व अन्य सामग्रियां सड़क पर न रखें ताकि आमजन को आवागमन में किसी

प्रकार की असुविधा उत्पन्न न हों, निर्माणकर्ताओं द्वारा यदि निर्माण सामग्री सड़क पर डम्प की जाती है तो निगम द्वारा सामग्री की जप्ती व नियमानुसार अर्थदण्ड आदि की कार्यवाही की जाएगी।

कचरा जलाना पूर्णता प्रतिबंधित– डॉ.तिवारी ने बताया कि नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 के अंतर्गत किसी भी प्रकार के अपशिष्ट को जलाना पूर्ण रूप से प्रतिबंधित किया गया है, उन्होने बताया कि घरों, दुकानों, आवासीय व व्यवसायिक परिसरों, उद्यानों, कृषि उत्पादन कार्य आदि से निकले अपशिष्ट तथा अन्य स्थानों से उत्सर्जित किसी भी प्रकार के अपशिष्ट को जलाना प्रतिबंधित है, अपशिष्ट को यदि आग लगाकर जलाया जाता है तो इससे वायु की गुणवत्ता पर गहरा प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, उन्होने बताया कि यदि किसी व्यक्ति के द्वारा अपशिष्ट को जलाते हुए पाया जाता है तो संबंधित के विरूद्ध नियमों के तहत जुर्माना एवं अन्य वैधानिक कार्यवाही की जाएगी।